सिद्ध महाविद्यालय कौन-कौन से हैं और उनमें से कितने महाविद्यालय सी० सी० आई० एम० द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करते हैं ;

(ख) क्या सरकार का ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का विचार है जो सी० सी० आई० एम० द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा नहीं करते, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या कर्नाटक के ऐसे कुछ महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है जो सी० सी० आई० एम० द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए मानदण्डों को पूरा नहीं करते है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें मान्यता प्रदान किए जाने के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय, डीम्ड और अन्य संस्थान, जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता प्रदान करते है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की सूसरी अनुसूची में सम्मिलित किए गए है। [देखिए परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या 63] केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद से इन कालेजों का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित मानदण्डों को पूरा नहीं करते है ।

मान्यता रद्द करने का मामला भा० चि० केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।(देखिए परिशिष्ट 181, अनुबंध संख्या [illegible] ।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए पृथक विभाग

2542. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए एक पृथक विभाग का गठन किया है, यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सृजित पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इन रिक्तियों की भर्ती और एक पृथक विभाग के गठन के लिए आवश्यक बजट का उपबन्ध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी हां, भा०चि०प० एवं होम्योपैथी के विकास के लिए मार्च, 1995 में भा०चि०प० एवं होम्योपैथी के एक स्वतंत्र विभाग का सृजन किया गया है । इस मंत्रालय के दिनांक 5-6-95 के आदेश सं० जैड० 28015/13/89-भा०चि०प० (विवरण के तहत 106 पदों का सृजन किया गया था (नोट्स देखिए) । इसके पश्चात सचिव (भा०चि०प० एवं होम्यो०) और सचिव (भा०चि०प० एवं होम्यो०) के प्रधान निजी सचिव के एक-एक पद और ड्राइवर के दो पदों का पृथक रूप से सृजन किया गया था ।

(ख) और (ग) वेतनों के व्यय के वहन के लिए सृजित किए गए नये पदों (मन्त्रालय और तकनीकी) के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 59.00 लाख रुपए का अनुमानित प्रावधान किया गया है इस प्रावधान में, अन्य बातों के साथ-साथ पहले ही भरे गए पदों और 1997-98 के दौरान भरे जाने वाले संभावित पदों के लिए वेतनों हेतु प्रत्याशित व्यय शामिल है

विवरण

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग द्वारा जारी आदेश

जैड०-28015/13/89--भा०चि०प०

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(भा०चि०प० एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक : 5 जून, 1995

सेवा में

मुख्य लेखानि एवं लेखाधिकारी,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली

विषय :-- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नए सृजित भा०चि०प० एवं होम्योपैथी विभाग में पदों का सृजन

महोदय,

भारत सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 8-3-95 की अधिसूचना सं० 74/2/2/95-के०१(i) के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के एक पृथक विभाग की स्थापना की है और चरणबद्ध ढंग से भरे जाने वाले 106 अतिरिक्त पदों की भी मंजूरी दी है ।

2. मई मार्च, 1997 के अन्त तक की अवधि के लिए प्रथम चरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नये सृजित भा०चि०प० एवं होम्योपैथी विभाग में समूह क, ख, ग और घ के पदों (कुल 47 पद) के निम्नलिखित पदों के सृजन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की सूचना देने का निदेश मिला है :--

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनक्रम (रु० में)
1.	निदेशक (आयुर्वेद एवं सिद्ध)	1	7300-7600
2.	संयुक्त सचिव	1	5900-6700
3.	सलाहकार (आयुर्वेद)	1	5900-6700
4.	उप-सलाहकार (आयुर्वेद)	1	3700-5000
5.	उप-सलाहकार (होम्यो०)	1	3700-5000
6.	उप सचिव	1	3700-5000

क्रमांक	पदनाम		पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)
7.	सहायक सलाहकार (आयुर्वेद)		1	3000–4500
8.	अवर सचिव		1	3000–4500
9.	उप निदेशक (संसदीय कार्य)		1	3000–4500
10	अनुभाग अधिकारी	अनु० अधि० (आयु०)	1	2200–4000
		अनु० अधि० (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	1	
		अनु० अधि० (औषध-आयुर्वेदिक)	1	
11	अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	(2-अनुभाग अधिकारी 1-डेस्क अधिकारी)	3	2000–3500
सहायक कर्मचारी				
12.	निजी सचिव		4	2000–3500
13.	आयु० ग्रेड "सी"		3	1640–2900
14	आयु० ग्रेड "डी"		6	1200–2040
15	चपरासी		9	750–940
16.	सहायक		6	1640–2900
17.	उ०श्रे० लिपिक		2	1200–2040
18.	अ०श्रे० लिपिक		2	950–1500

3. 1-4-96 से मार्च, 1997 तक समूह क, ख, ग और घ समूह के निम्नलिखित 59 पदों के सृजन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्रदान की जाती है :

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)
1.	सलाहकार (यूनानी)	1	5900–6700
2.	अपर औषध नियंत्रक (भा०चि०प०)	1	5100–6300
3.	उप सलाहकार (आयुर्वेद)	1	3700–5000
4.	उप सलाहकार (वनस्पति)	1	3700–5000
5.	उप सलाहकार (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	1	3700–5000
6.	उप सचिव	1	3700–5000
7.	सहायक सलाहकार (वनस्पति)	1	3700–5000
8.	सहा० सलाहकार (योग एवं प्रा०चि०)	1	3000–4500
9.	सहा० सलाहकार (यूनानी)	1	3000–4500
		1	3000–4500

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रु० में)
10.	सहा० सलाहकार (होम्यो०)	1	3000–4500
11.	अवर सचिव	1	3000–4500
12.	उप निदेशक (योजना एवं मूल्यांकन/राजभाषा)	1	3000–4500
13.	अनुसंधान अधिकारी (आयु०–1, यूनानी–1, होम्यो०–1	3	2200–4000
14.	अनुभाग अधिकारी	2	2000–3500
	सहायक कर्मचारी		
15.	निजी सचिव	1	2000–3500
16.	आशु० ग्रेड "सी"	5	1640–2900
17.	आशु० ग्रेड "डी"	5	1200–2040
18.	चपरासी	11	750–940
19.	सहायक/औषध निरीक्षक/ संसदीय सहायक (औषध निरीक्षक–4) (संसद सहायक–1) (सहायक–7)	12	1640–2900
20.	उ० श्रे० लिपिक	4	1200–2040
21.	अ० श्रे० लिपिक	4	950–1500

ये पद उनके भरे जाने की तारीखो से चालू माने जायगे ।

4. इन पर होने वाले व्यय का बजट अनुमान 1995–96 और 1996–97 (योजना) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के मंजूर शुदा बजट अनुदान में से वहन किया जायेगा ।

मांग संख्या 39 (योजना)

2210 ग–चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (प्रमुख शीर्ष)
02 ग, 2–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–अन्य चिकित्सा पद्धति (उप-प्रमुख शीर्ष)
02001 ग. 2(i) निर्देशन एवं प्रशासन (प्रमुख शीर्ष)
01 ग. 2(i)(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय की स्थापना करना ।
010001 ग. 1(i)(i)'(i)–वेतन ।

5. इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 18–4–95 के यू०ओ०सं० 520/56/सी/2/94/ई०एस० 2 के तहत प्रधान मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(कंवल दास)
अवर सचिव, भारत सरकार